तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** हुरखादेवी बनाम चूनकी व अन्य दीवानी मूल प्रकरण संख्या 31/2007	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2025	उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिविजन पिटिशन नंबर 30/2016 हुरका देवी बनाम चुंकी दिनांक 18.11.24 में यह निर्देश पारित किए गए कि "Learned Court below has reproduced the provisions of Section 242 of the Rajasthan Tenancy Act in the impugned order. The law under the aforesaid Section requires the civil court to frame issues on the plea of tenancy and submit the record to the appropriate revenue court for decision on that issue only. Therefore, the proper course for the civil court was to transmit the record to the proper Revenue court for adjudication of the issue framed by the civil court and after adjudication on those issues, the file would come back to the civil court to decide the issue of its jurisdiction." इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि हस्तगत वादपत्र राजस्व न्यायालय को प्रेषित किए जावे। उक्त निर्देशों की पालना में पूर्व में कायम तनकी संख्या 3 के निस्तारण हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता को प्रेषित की गई तथा उपखंड अधिकारी, मेडता के द्वारा उक्त तनकी के संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया गया है कि – **प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मकान बाडा एवं खातेदारी भूमि का वर्णन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के तहत खातेदारी भूमि के संबंध में श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है, परंतु गत पेशी पर अधिवक्ता वादी ने यह कथन किया है कि वादी द्वारा खातेदारी भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने की जो प्रार्थना की है, इस संबंध में पत्रावली पुनः न्यायालय उपखंड अधिकारी, मेडता को प्रेषित की जावे, जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने**	

सहमति प्रकट की है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.24 में दिए निर्देशों की पालना में संशोधित तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार से विरचित की जाती है कि –

"आया वादपत्र के पैरा संख्या 11 में बतायी राजस्व भूमि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का चला आ रहा है, जिससे घोषणा खातेदारी हक की वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में की जाकर वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काश्त कब्जेशुदा बंटशुदा घोषित करवाने का वादिनी को अधिकार है। विकल्प में वादपत्र के पैरा संख्या 11 में वर्णित राजस्व भूमि का बंटवारा वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 स 4 के वंशानुकम के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का वादिनी को अधिकार है।" – वादिनी

SDM, मेड़ता
डेस्क 269
18/7/25

उभय पक्षकारान को दिनांक 21.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी, मड़ता के न्यायालय में उपिस्थति होने हेतु पाबंद किया जाता है। हस्तगत प्रकरण माननीय उच्चतम नयालय के शीघ्र निस्तारण की लक्षित पत्रावली संख्या 1 है। अतः उपखंड अधिकारी, मेडता को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त संशोधित तनकी का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाकर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में अविलंब पेश करें। पत्रावली वास्ते देखने पालना हेतु दिनांक 30.07.25 को पेश हो।

Shrivastava
अपर जिला न्यायाधीश,
मेड़ता